



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

U P POWER CORPORATION LTD.

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

CIN:U32201UP1999SGC024928

संख्या-06-कार्य/चौदह-पाकालि/2020-45-के/2001

दिनांक: 04 जनवरी, 2020

प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, लखनऊ।

प्रबन्ध निदेशक उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ।

प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल-लखनऊ/दक्षिणांचल-आगरा/पश्चिमांचल-मेरठ/पूर्वांचल-वाराणसी,

समस्त निदेशकगण, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।

विद्युत वितरण निगम लि0/केसको-कानपुर।

निदेशक (आपरेशन), उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, 11वां तल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत)/वाणिज्य/नियोजन/जाँच समिति/जानपद-पारे0।।/सचिव, विद्युत सेवा आयोग/उ0प्र0

पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ।

समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण)/पारेषण,

निदेशक, विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ।

विषय:- विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उ0प्र0 (जिसमें 16 संगठन सम्मिलित हैं) द्वारा इलेक्ट्रीसिटी एक्ट 2003 में किये जा रहे प्रतिगामी संशोधनों आदि के विरोध में 08 जनवरी 2020 को एक दिवसीय कार्य बहिष्कार के दृष्टिगत विद्युत आपूर्ति बनाये रखने के सम्बन्ध में।

कृपया उपरोक्त विषयक कारपोरेशन के पत्र सं0-4399-औ0सं0/2019-64/ए0एस0/2002 दि0 30.12.2019 (छायाप्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करें। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उ0प्र0 (जिसमें 16 संगठन सम्मिलित हैं) द्वारा 08 जनवरी 2020 को एक दिवसीय कार्य बहिष्कार की नोटिस की सूचना संज्ञान में आयी है। आप विदित हैं कि उ0प्र0 शासन से उ0प्र0 आवश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम-1966 के अन्तर्गत ऊर्जा क्षेत्र के अधीन समस्त सेवाओं में अधिसूचना सं0-1998/24-पी-2-20-1(121)/04 दिनांक 03.01.2020 द्वारा छः माह के लिये हड़ताल निषिद्ध की है जिसकी सूचना आपको कारपोरेशन (मुख्यालय) के पृष्ठांकन संख्या-2550-औ0सं0/2019-159-ए0/67 दिनांक 23.07.2019 द्वारा दी जा चुकी है। उल्लेखनीय है कि उ0प्र0 आवश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम 1966 (उ0प्र0 अधिनियम-30 सन् 1966) की धारा 04,05,06 एवं 07 में अवैध हड़ताल की स्थिति में शास्ति (Penalty) दिये जाने का प्राविधान है। ऐसी स्थिति में कार्य बहिष्कार, रैली आदि करना न केवल अनुचित अपितु अवैधानिक भी है। इस स्थिति में विद्युत आपूर्ति सुचारु बनाये रखने के लिए कृपया निम्न निर्देशों का अनुपालन एवं स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार अन्य आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें:-

1. अपने क्षेत्र के संवेदनशील स्थानों की सूची सम्बन्धित जिलाधिकारियों को उपलब्ध करायें ताकि उनके द्वारा सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था की जा सकें।
2. मुख्य अभियन्ता (सी0एम0यू0डी0) के नियंत्रणाधीन शक्ति भवन मुख्यालय पर एक केन्द्रीय नियंत्रण कक्ष स्थापित किया जायेगा। हड़ताल/कार्य बहिष्कार अवधि में हेल्पलाइन केन्द्रीय नियंत्रण कक्ष के रूप में कार्य करेगा जिसके सुचारु सम्पादन का समस्त दायित्व मुख्य अभियन्ता (सीएमयूडी) का होगा।
3. निगम स्तर पर न्यूनतम अधीक्षण अभियन्ता स्तर का नोडल अधिकारी नामित करते हुये उनके अधीन नियंत्रण कक्ष की दिनांक 05.01.2020 तक स्थापना करें तथा कार्य बहिष्कार संबंधी सूचना मुख्य अभियन्ता (सीएमयूडी) के नियंत्रणाधीन शक्ति भवन विस्तार में स्थापित केन्द्रीय नियंत्रण कक्ष (हेल्पलाइन) को संलग्न प्रपत्र में ससमय सूचित करें। (हेल्पलाइन की दूरभाष संख्या:-0522-2288737, 2288738 तथा ई-मेल cmuduppcl@gmail.com है।)
4. दिनांक 08 जनवरी 2020 को एक दिवसीय कार्य बहिष्कार की अवधि में विद्युत आपूर्ति को सामान्य बनाये रखा जाना सुनिश्चित किया जाये तथा कारपोरेशन की सम्पत्तियों, ताप विद्युत गृहों, 765 के0वी0/400 के0वी0/220 के0वी0/132 के0वी0 पारेषण विद्युत उपकेन्द्रों/रिवर कासिंग्स/रिमोट टेलीकम्यूनिकेशन यूनिट्स/सबस्टेशन आटोमेशन सिस्टम्स/विद्युत वितरण उपकेन्द्रों व संयंत्रों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाये तथा आवश्यकतानुसार जिला प्रशासन/पुलिस प्रशासन से सम्पर्क कर सहयोग प्राप्त किया जाये।
5. यदि आपके क्षेत्र में कोई तोड़फोड़ की घटना होती है तो उसकी सूचना तुरन्त सम्बन्धित जिलाधिकारी/पुलिस अधीक्षक को तथा मुख्य अभियन्ता, सी0एम0यू0डी के नियंत्रणाधीन कारपोरेशन (मु0), स्तर पर स्थापित केन्द्रीय नियंत्रण कक्ष को भी दें।
6. जो कार्मिक दिनांक 08 जनवरी 2020 को एक दिवसीय कार्य बहिष्कार पर नहीं जाते हैं उनको समुचित सुरक्षा प्रदान कर उनकी सेवाओं का उपयोग करें।
7. दिनांक 08 जनवरी 2020 को एक दिवसीय कार्य बहिष्कार के दौरान विद्युत आपूर्ति की सर्वोच्च प्राथमिकता पेयजल, अस्पताल, सुरक्षा स्थानों, रेडियों/टी0वी0 केन्द्रों, रेलवे स्टेशनों आदि को दी जायें।

8. किसी भी अधिकारी/कर्मचारी को कोई अवकाश स्वीकृत न किया जाये तथा जो अवकाश पर जा चुके हों उन्हें तत्काल वापस बुला लिया जाये।
9. उक्त दिनांक 08 जनवरी 2020 को एक दिवसीय कार्य बहिष्कार की अवधि में अपने नियंत्रणाधीन सभी फैंक्स 24 घण्टे चलाये रखें।
10. जिन बिन्दुओं पर रेलवे को विद्युत आपूर्ति की जा रही है उसकी आपूर्ति में कोई व्यवधान न उत्पन्न हो इसके लिये सम्बन्धित रेलवे अधिकारी से सम्पर्क कर उनसे अनुरोध कर लिया जाये कि वे आपूर्ति की व्यवधान की स्थिति में अपने कार्मिकों से, ठीक कराने का सहयोग प्रदान करें।
11. स्थानीय ठेकेदारों, अधिकारियों/कर्मचारियों तथा पूर्व एवं कार्यरत प्रशिक्षुओं की यथा आवश्यक सेवायें ली जायें।
12. एन0टी0पी0सी0, पी0जी0सी0आई0एल0, सिंचाई विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, आई0टी0आई0, पॉलिटैक्निक, विद्युत सुरक्षा निदेशालय तथा उससे पंजीकृत ठेकेदारों से यथा आवश्यक सहयोग प्राप्त करें।
13. संविदाकार के माध्यम से नियोजित संविदा श्रमिकों की सेवायें कार्य बहिष्कार के दौरान लेने हेतु संविदाकारों के साथ बैठक कर तैयारी कर ली जाय तथा संविदा श्रमिकों की सूची, पता एवं मोबाइल नम्बर जिला प्रशासन को उपलब्ध करा दी जाय।
14. दिनांक 08 जनवरी 2020 को एक दिवसीय कार्य बहिष्कार किये जाने के कारण राजस्व वसूली प्रभावित न हो। इसके लिये खंडीय लेखाकार(कार्य), खंडीय लेखाकार (राजस्व) एवं सहायक लेखाकार तथा लेखालिपिक राजस्व वसूली का कार्य भी करेंगे।
15. यदि कोई कर्मिक विद्युत उपस्थानों में तोड़फोड़ करने अथवा अन्य कर्मिकों को दिनांक 08 जनवरी 2020 को एक दिवसीय कार्य बहिष्कार किये जाने हेतु उकसाने में संलिप्त पाया जाता है तो उसके विरुद्ध तत्काल सम्बन्धित थाने में एफ0आई0आर0 दर्ज करायें।
16. अधीक्षण अभियन्ता (वितरण)/अधीक्षण अभियन्ता (पारेषण) अपने क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति सुचारु रूप से चलाये जाने के लिये विशेष रूप से सतर्क रहें, इसके लिये वे उत्तरदायी होंगे।
17. काम नहीं तो वेतन नहीं के सिद्धान्त का दृढ़ता से अनुपालन करें।
18. उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड के सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवायें भी यथासम्भव प्राप्त करने हेतु यथोचित कार्यवाही अपने स्तर से सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नक:-यथोपरि।

(एम0 देवराज)
प्रबन्ध निदेशक

संख्या-06(1)-कार्य-चौदह/पाकालि/2020 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव (ऊर्जा), उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. समस्त मण्डलायुक्त/जोनल अपर पुलिस महानिदेशक/रेंज पुलिस महानिरीक्षक/रेंज पुलिस उप महानिरीक्षक, उ0प्र0।
3. समस्त जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।
4. मुख्य अभियन्ता, सी0एम0यू0(डी0), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि केन्द्रीय बहिष्कार/हड़ताल नियंत्रण कक्ष (हेल्पलाइन) का सूचारु रूप से सम्पादन सुनिश्चित करें।
5. महाप्रबन्धक (औद्योगिक सम्बन्ध), एवं कार्य बहिष्कार/हड़ताल से संबंधित मामलों के नोडल अधिकारी उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे कर्मिकों की उपस्थिति संकलित करवाकर निदेशक (कर्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन) को अन्य सूचनाओं के साथ उपलब्ध करायेंगे।
6. अधीक्षण अभियन्ता ज्ञानपद (मुख्यालय), 9वां तल, उ0प्र0पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
7. अधीक्षण अभियन्ता, प्रभारी हेल्पलाइन, सी0एम0यू0(डी0), उ0प्र0पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
8. अधिशासी अभियन्ता, प्रभारी हेल्पलाइन, कक्ष सं0-429, चतुर्थ तल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

(एम0 देवराज)
प्रबन्ध निदेशक

विद्युत वितरण निगम का नाम-

Figure 1

दिनांक:-

[illegible]

नोडल अधिकारी का नाम एवं हस्ताक्षर



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

शक्ति भवन, विस्तार, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ

CIN: U32201UP1999SGC024928

संख्या-4399-औ०सं०/2019-64/ए०एस०/2002

दिनांक 30 दिसम्बर, 2019

प्रबन्ध निदेशक,
मध्यांचल/पूर्वांचल/दक्षिणांचल/पश्चिमांचल,
विद्युत वितरण निगम लि०/के०स्को,
लखनऊ/वाराणसी/आगरा/मेरठ/कानपुर।

पत्र सं० 02 कार्य-14/पावर/अति-आवश्यक/ई-मेल
क्रम सं० 33.7 दिनांक 30/12/2019
पत्रावली सं० 45-K/2001

विषय :- विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उ०प्र० (जिसमें 16 अन्य संगठन सम्मिलित हैं) द्वारा बिजली के निजीकरण की दृष्टि से इलेक्ट्रीसिटी एक्ट 2003 में किये जा रहे प्रतिगामी संशोधनों के विरोध में एवं अन्य न्यायोचित समस्याओं के समाधान हेतु 08 जनवरी 2020 को एक दिवसीय कार्य-बहिष्कार के दृष्टिगत विद्युत आपूर्ति बनाये रखने के सम्बन्ध में।

महोदय,

विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उ०प्र० ने पत्र संख्या-29/संघर्ष दिनांक 21.11.2019 (प्रतिलिपि संलग्न) के माध्यम से अवगत कराया गया है कि विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति (जिसमें उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद अभियन्ता संघ, राज्य विद्युत परिषद जूनियर इन्जीनियर संगठन, विद्युत मजदूर पंचायत, उ०प्र० बिजली कर्मचारी संघ, उ०प्र० बिजली मजदूर संगठन, हाइड्रो इलेक्ट्रिक इम्प्लाइज यूनियन (इण्टक), उ०प्र० विद्युत मजदूर संघ, यू०पी० बिजली बोर्ड इम्प्लाइज यूनियन, बिजली मजदूर यूनियन उ०प्र०, उ०प्र० ताप विद्युत मजदूर संघ, उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद प्राविधिक कर्मचारी संघ, विद्युत कार्यालय सहायक संघ, यू०पी० बिजली बोर्ड इम्प्लाइज यूनियन, विद्युत कार्यालय कार्मिक संघ, उ०प्र० ताप विद्युत मजदूर संघ, उ०प्र०रा०वि०प० श्रमिक संघ, विद्युत पैरामेडिकल एसोसिएशन, विद्युत मजदूर यूनियन उ०प्र० (एच०एम०एस०) एवं विद्युत परिषद आशुलेखक संघ, उ०प्र० सहित कुल 16 यूनियनें सम्मिलित हैं) द्वारा बिजली के निजीकरण की दृष्टि से इलेक्ट्रीसिटी एक्ट 2003 में किये जा रहे प्रतिगामी संशोधनों के विरोध में एवं अन्य न्यायोचित समस्याओं के समाधान 08 जनवरी 2020 को एक दिवसीय कार्य-बहिष्कार का नोटिस दिया गया है।

आप विदित है कि उ०प्र० शासन ने "उ०प्र० आवश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम-1966" के अन्तर्गत ऊर्जा क्षेत्र के अधीन समस्त सेवाओं में अधिसूचना संख्या-811/24-पी-2-19-1(121)/04 दिनांक 04.07.2019 द्वारा छः माह के लिये हड़ताल निषिद्ध की है जिसकी सूचना आपको कारपोरेशन (मुख्यालय) के पृष्ठांकन संख्या-2550-औ०सं०/2019-159-ए/67 दिनांक 23.07.2019 द्वारा दी जा चुकी है, ऐसी स्थिति में कार्य बहिष्कार, रैली आदि करना न केवल अनुचित अपितु अवैधानिक भी है। यह भी उल्लेखनीय है कि कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-929-औ०सं०/17/पाकालि/2001-3-ए०/79 दिनांक 31.03.2001 में निहित प्राविधानों के अनुपालन में "काम नहीं तो वेतन नहीं" के सिद्धान्त का कड़ाई से पालन किये जाने के आदेश भी विद्यमान है।

अतः आपसे अनुरोध है कि विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उ०प्र० द्वारा दिनांक 08.01.2020 को प्रस्तावित 01 दिवसीय कार्य-बहिष्कार किये जाने की नोटिस के दृष्टिगत विद्युत आपूर्ति को प्रत्येक स्थिति में सामान्य बनाये रखना सुनिश्चित किया जाये तथा कारपोरेशन की सम्पत्तियों, विद्युत केन्द्रों व सयन्त्रों तथा निष्ठावान कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाये तथा आवश्यकतानुसार जिला-प्रशासन/पुलिस प्रशासन से सम्पर्क कर सहयोग प्राप्त किया जाये। कृपया निर्देशों से अपने अधीनस्थ सभी क्षेत्रीय अधिकारियों को भी अनुपालनार्थ अवगत कराने का कष्ट करें। कृपया इस सम्बन्ध में कृत कार्यवाही से अद्योहस्ताक्षरी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

सलंगनक :- यथोपरि।

भवदीय,

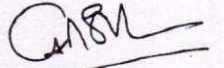
(ए०के० पुरवार)
निदेशक (का०प्र० एवं प्रशा०)

सं० 01 सं०सं०(का०)/शक्ति/उ०प्र०/20.20

संख्या-4399-(1)-औ०सं०/2019 तददिनांक :-

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
1. अध्यक्ष, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
 2. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।

3. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
4. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल विद्युत निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ के निजी सचिव।
5. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० ट्रांसको, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
6. निदेशक (का०प्र० एवं प्रशा०), पूर्वान्चल/पश्चिमांचल/मध्यांचल एवं दक्षिणांचल, वाराणसी/मेरठ/ लखनऊ आगरा एवं मुख्य अभियन्ता (मा०सं० एवं प्रशा०) कानपुर विद्युत वितरण निगम लि० (कैस्को)।
7. अपर सचिव-प्रथम/द्वितीय/तृतीय, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
8. संयुक्त सचिव (कार्य), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ को कार्य बहिष्कार की नोटिस की प्रति सहित कान्टीजेन्ट प्लान एवं समस्त आवश्यक व्यवस्थाये पूर्ण कराने के सम्बन्ध में।
9. समस्त महाप्रबन्धक (लेखा)/उप महाप्रबन्धक (लेखा)/उप मुख्य लेखाधिकारीगण उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
10. समस्त अधीक्षण अभियन्ता/अधिशाली अभियन्ता, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०।
11. कारपोरेशन मुख्यालय/लेखा-शाखा के समस्त अधिकारीगण, शक्ति भवन, लखनऊ।
12. अधिशाली अभियन्ता (वेब), कक्ष संख्या-407, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को कारपोरेशन की वेब साइट पर लोड करने हेतु।
13. कट फाइल।



(ए०के० पुरवार)
निदेशक (का०प्र० एवं प्रशा०)

विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उ३

पत्रांक सं० - ४३/संघर्ष ५३६०/१७-१९

Imp.

दिनांक 11.12.2019

मुख्यमंत्री,
उ३ सरकार,
लखनऊ।

पत्रावली संख्या
नि (सं० ३)
६७१/८८५/२०१९
१२/१२/२०१९

०८.०१.२०२०
डॉ. रमेश कुमार
सूचना विभाग
लखनऊ

१२५

अरविन्द कुमार

विषय :- बिजली के निजीकरण की दृष्टि से इलेक्ट्रीसिटी पावर एक्ट २००३ में किये जा रहे प्रतिगामी संशोधनों के विरोध में एवं अन्य न्यायोचित समस्याओं के समाधान हेतु ०८ जनवरी २०२० को एक दिवसीय कार्य बहिष्कार की सूचना।

महोदय,

१२.१२.१९ विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उ३ की ११ दिसम्बर २०१९ को लखनऊ में हुई बैठक में बिजली के क्षेत्र में विगत २० वर्षों से तथाकथित सुधारों के नाम पर चल रहे जनविरोधी प्रतिगामी प्रयोगों पर गंभीर चिंता प्रकट की गयी। सम्मलेन इस बात पर चिंता व्यक्त करता है कि केन्द्र और राज्य सरकारों की निजी घरानों पर अति निर्भरता की ऊर्जा नीति के चलते आम लोगों के लिए बिजली महंगी होती जा रही है जबकि जनता के पैसे से बने बिजली नेटवर्क के सहारे ही निजी घराने अरबों खरबों रुपये का मुनाफा कमा रहे हैं। केन्द्र और राज्य की निजी घरानों पर अति निर्भरता की गलत ऊर्जा नीति के चलते उ३ में बिजली वितरण कंपनियों का कुल घाटा ८५ हजार करोड़ रु हो गया है। जबकि विद्युत परिषद के विघटन के समय वर्ष २००० में सालाना घाटा मात्र ७७ करोड़ रु था। बिजली बोर्डों का विघटन घाटे के नाम पर किया गया था किन्तु विघटन के बाद लगातार बढ़ रहे घाटे से स्वयं स्पष्ट हो जाता है कि तथाकथित सुधारों के नाम पर चल रही ऊर्जा नीति पूरी तरह विफल साबित हुई है अतः इस पर तत्काल पुनर्विचार किया जाना चाहिए।

१०.१०.२००० (३०.१०.२०००) ध्यान रहे कि तथाकथित सुधारों के नाम पर देश में सबसे पहले उड़ीसा बिजली बोर्ड का विघटन किया गया था और उड़ीसा में चारों विद्युत् वितरण कंपनियों को निजी क्षेत्र को सौंप दिया गया था। इनमें एक कंपनी अमेरिका की ए ई एस कंपनी थी जो साल भर बाद ही वापस भाग गयी। तीन वितरण कंपनियाँ रिलायंस को दी गयी थीं जिनके लाइसेंस उड़ीशा विद्युत नियामक आयोग द्वारा फरवरी २०१५ में रद्द कर दिए गए। लाइसेंस रद्द करने का मुख्य कारण यह बताया गया कि रिलायंस कम्पनी लाइन हानियाँ घटाने और बिजली व्यवस्था में सुधार करने में पूरी तरह विफल रहा है। रिलायंस ने लाइसेंस रद्द करने के विरोध में सुप्रीम कोर्ट तक मुकदमा लड़ा किन्तु सुप्रीम कोर्ट ने भी रिलायंस की याचिका खारिज कर दी। अत्यंत खेद का विषय है कि इतना सब होने के बावजूद उड़ीशा में बिजली वितरण कंपनियों का निजीकरण करने की प्रक्रिया पुनः चलायी जा रही है। देश की राजधानी दिल्ली में विद्युत बोर्ड को समाप्त कर विद्युत वितरण का सीधे निजीकरण किया गया था। दिल्ली में दो वितरण कम्पनियाँ रिलायंस के पास हैं और एक वितरण कंपनी टाटा के पास है। हर साल बिजली दरें बढ़ाने के लिए निजी कम्पनियाँ नियामक आयोग को प्रस्ताव देती हैं। निजी कम्पनियाँ बिलिंग से लेकर मीटरिंग तक में भारी फर्जीवाड़ा कर रही हैं। निजी कंपनियों का सी ए जी से आडिट कराया जाये तो और बड़े घोटाले सामने आएंगे। कुल मिलाकर निजीकरण का प्रयोग दिल्ली में भी पूरी तरह विफल रहा है और आम जनता निजी कम्पनियों के मनमामेपन से परेशान है।

२०/१२/१९ उ३ में भी कर्मचारियों के प्रबल विरोध के बावजूद वर्ष २००० में उ३ राज्य विद्युत परिषद का विघटन कर निगमीकरण किया गया जिसके दुष्परिणाम लगातार बढ़ रहे घाटे के रूप में सामने हैं। इसी प्रकार अगर बिजली व्यवस्था निजी फ्रेन्चाइजी टोरेन्ट कम्पनी को ०१ अप्रैल २०१० को दी गयी जिससे पावर कारपोरेशन को प्रति वर्ष भारी क्षति हो रही है और अगर के उपभोक्ता भी काफी परेशान हैं। नोएडा जैसे औद्योगिक और व्यावसायिक क्षेत्र को वर्ष १९९३ में निजी कम्पनी नोएडा पावर लि

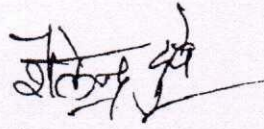
उल्टे कम्पनी पावर कारपोरेशन से बिजली खरीद का बकाया भी समय से नहीं दे रही है। इस प्रकार उप्र में भी निजीकरण का प्रयोग बुरी तरह असफल रहा है।

इन विफलताओं से सबक लेने के बजाये केंद्र सरकार निजीकरण करने की दृष्टि से इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 में आगामी बजट सत्र में प्रतिगामी संशोधन करने पर आमादा है जिसमें बिजली आपूर्ति कई निजी कंपनियों को देने की व्यवस्था है। यदि यह बिल पारित हो गया तो बिजली आपूर्ति करने वाली निजी कंपनियाँ मुनाफे वाले बड़े उपभोक्ताओं को बिजली देकर भारी मुनाफा कमाएंगी जबकि सरकारी क्षेत्र की बिजली आपूर्ति कंपनी ग्रामीण क्षेत्रों, किसानों, गरीबों और आम उपभोक्ताओं को बिजली आपूर्ति कर केवल घाटे में रहेगी और इस प्रकार सरकारी बिजली आपूर्ति कंपनियों का दीवाला निकल जायेगा और क्रास सब्सिडी खत्म हो जाने से अंततः आम उपभोक्ताओं का टैरिफ बढ़ेगा।

विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उप्र ऊर्जा क्षेत्र में सार्थक सुधार हेतु आपसे मांग करती है कि -

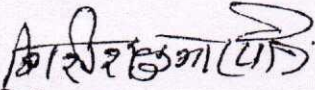
- बिजली निगमों का एकीकरण कर केरल व हिमाचल प्रदेश की तरह उप्रराविप लिमिटेड का पुनर्गठन किया जाये।
- बिजली के निजीकरण की दृष्टि से इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 में किये जाने वाले समस्त संशोधन वापस लिये जाये।
- श्रम कानूनों में किये जा रहे समस्त प्रतिगामी संशोधन वापस लिये जायें।
- आगरा का विद्युत वितरण फ्रेन्चाइजी करार व ग्रेटर नोएडा का निजीकरण रद्द किया जाये।
- उप्र पावर सेक्टर इम्प्लाईज ट्रस्ट एवं उप्र पाकालि सीपीएफ ट्रस्ट की डीएचएफएल में निवेश की गयी धनराशि के भुगतान हेतु प्रमुख सचिव(ऊर्जा) द्वारा 23 नवम्बर 2019 को जारी आदेश पर गजट नोटिफिकेशन जारी किया जाये जिससे कर्मचारी निश्चिन्त होकर अपने कार्य में पूर्ण निष्ठा से जुटे रह सकें। घोटाले के दोषियों पूर्व चेयरमैन(जो ट्रस्ट के भी चेयरमैन रहे) व अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को बर्खास्त कर गिरफ्तार किया जाये व मा. मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुपालन में सीबीआई जांच तत्काल प्रारम्भ करायी जाये।
- कर्मचारियों को रिफॉर्म एक्ट 1999 एवं ट्रांसफर स्कीम 2000 के तहत मिल रही रियायती बिजली की सुविधा (एलएमवी 10) पूर्ववत बनाये रखी जाये व मीटर लगाने के आदेश वापस लिये जायें।
- सरकारी क्षेत्र के बिजली उत्पादन गृहों का नवीनीकरण/उच्चीकरण किया जाये और निजी घरानों से मंहगी बिजली खरीद हेतु सरकारी बिजली घरों को बन्द करने की नीति समाप्त की जाये।
- बिजली कर्मियों की वेतन विसंगतियों का तत्काल निराकरण किया जाये।
- वर्ष 2000 के बाद भर्ती हुए सभी कार्मिकों के लिए पुरानी पेन्शन प्रणाली लागू की जाये।
- सभी श्रेणी के समस्त रिक्त पदों पर नियमित भर्ती की जाये और नियमित प्रकृति के कार्यों में संविदा/ठेकेदारी प्रथा समाप्त कर संविदा कर्मियों को वरीयता देते हुए नियमित भर्ती की जाये।
- बिजली कर्मचारी सुरक्षा अधिनियम (Electricity employees protection act) शीघ्र बनाया जाये।

विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उप्र बिजली सेक्टर के राष्ट्रीय श्रम संघों/सेवा संगठनों के आह्वान पर आपको सूचित करती है कि उक्त मांगों पर केन्द्र व राज्य सरकार के ध्यानाकर्षण हेतु उप्र के सभी ऊर्जा निगमों के तमाम बिजली कर्मचारी, जूनियर इंजीनियर व अभियन्ता आगामी 08 जनवरी 2020 को 01 दिन का कार्य बहिष्कार कर विरोध प्रदर्शन/सभा करेंगे। इस 01 दिवसीय कार्य बहिष्कार के दौरान विद्युत उत्पादन गृहों, पारेषण व सिस्टम आपरेशन में कार्य करने वाले कर्मचारियों को अलग रखा जायेगा जिससे बिजली का ग्रिड पूरी तरह ठप्प न हो जाये और आम जनता को कठिनाई न हो।



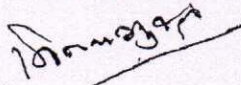
(शैलेन्द्र दुबे)
संयोजक

विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष
समिति

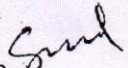


(गिरीश कुमार पाण्डेय)
महामंत्री

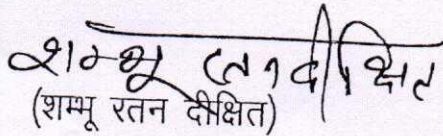
विद्युत मजदूर पंचायत, उप्र



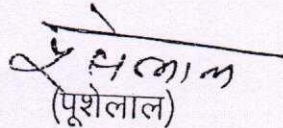
(विनय शुक्ला)
प्रमुख महामंत्री
हाईड्रो इलेक्ट्रिक इम्प.यू.उप्र



(सुनील प्रकाश पाल)
केन्द्रीय अध्यक्ष
विद्युत कार्यालय सहायक संघ



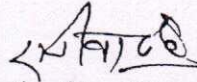
(शम्भू रतन दीक्षित)
अध्यक्ष
उप्र ताप विद्युत मजदूर संघ



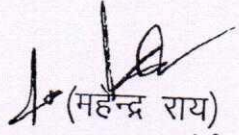
(पूशेलाल)
अध्यक्ष
विद्युत मजदूर यूनियन उप्र (एचएमएस)

पृ. 37

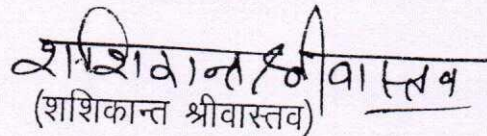
भवदीय



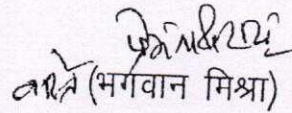
(राजीव सिंह)
महासचिव
उप्र राज्य विद्युत परिषद
अभियन्ता संघ



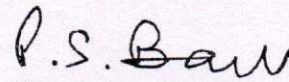
(महेन्द्र राय)
मुख्य महामंत्री
उप्र बिजली कर्मचारी संघ



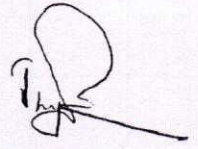
(शशिकान्त श्रीवास्तव)
महामंत्री
उप्र विद्युत मजदूर संघ



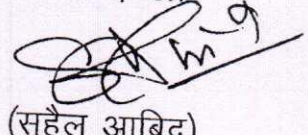
(भगवान मिश्रा)
अध्यक्ष
यूपी बिजली बोर्ड इम्प. यू.
उप्र(सीटू)



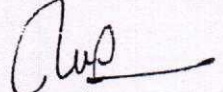
(पी एस बाजपेयी)
अध्यक्ष
उप्र रा.वि.प. श्रमिक संघ



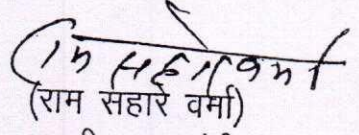
(जय प्रकाश)
महासचिव
राविप जूनियर इंजीनियर्स
संगठन, उप्र



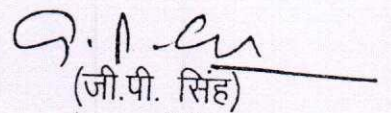
(सुहैल आबिद)
महामंत्री
उप्र बिजली मजदूर संगठन



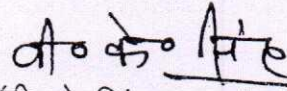
(परशुराम)
महासचिव
रा.वि.प.प्रा. कर्मचारी संघ, उप्र



(राम सहार वर्मा)
प्रान्तीय महामंत्री
विद्युत कार्यालय कार्मिक संघ,
उप्र



(जी.पी. सिंह)
महामंत्री
विद्युत पैरामेडिकल एसोसिएशन



(वी के सिंह 'कलहंस')
केन्द्रीय अध्यक्ष
विद्युत परिषद आशुलेखक संघ, उप्र (भामस)

प्रतिलिपि प्रतिष्ठा में -

1. मा0 प्रधानमंत्री, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. मा0 विद्युत मंत्री, भारत सरकार, नई दिल्ली।
3. मा0 ऊर्जा मंत्री, उप्र सरकार, लखनऊ।
4. मुख्य सचिव, उप्र शासन, लखनऊ।
5. प्रमुख सचिव (ऊर्जा), उप्र शासन, लखनऊ।
6. अध्यक्ष, उप्र पावर कारपोरेशन लि/उप्र राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि/ उप्र जल विद्युत निगम लि/उप्र पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, लखनऊ।

